तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इशा...
24.12.24	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे फर्द बटवारा रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है तहसीलदार बेगू से रिपोर्ट चाही जावे। पत्रावली वास्ते पालना मे दिनांक 14.1.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
14.1.25	पत्रावली [redacted] पेश हुई [redacted] [redacted] किया [redacted] [redacted] दिनांक 6.3.25 [redacted]
6.3.25	[redacted] 25.6.25
25.6.25	[redacted] P.O. 6 सा. कैम्प मे पधारे है। [redacted] 1.9.25 पेश हो।
1.9.25	पत्रावली [redacted] पेश हुई [redacted] [redacted] किया [redacted] [redacted] दिनांक 27.10.25 को पेश की जावे
27.10.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे तहसीलदार बेगू से पूर्व मे फर्द बटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर वकील वादी की बहस सुनी गई फर्द बटवारा रिपोर्ट स्वीकार कि जाती है। दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। डिक्री की एक प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दी जावे। पत्रावली वास्ते फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

ाद पत्र संख्या :– 67/2012

राजेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1 पुरूषोत्तम पुत्र स्व0 भोलीराम जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
2 जमनालाल पुत्र स्व0 देवीलाल जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
3 प्रवीण पुत्र स्व0 देवीलाल जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
4 श्यामलाल पुत्र स्व0 देवीलला जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
5 प्रेम पुत्री स्व0 देवीलाल जी हरिजन हाल पत्नी रमेश जी हरिजन निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा
6 श्रीमति विमला पुत्री देवीलाल जी हाल पत्नी बाबूलाल जी हरिजन निवासी पुर जिला भीलवाडा
7 मीरा पुत्री स्व0 देवीलाल जी हरिजन हाल पत्नी लादूलाल जी हरिजन निवासी फरतहनगर जिला उदयपुर
8 वेदप्रकाश पुत्र हीरालाल जी हरिजन निवासी नन्दवाई हाल मकान नंबर 30 एमआई जी , इन्द्रानगर नीमच (म0प्र0)
9 इन्द्रा पुत्री हीरालाल जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
10 रेखा पुत्री हीरालाल जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
11 गीता पुत्री हाबूराम जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
12 रोशन पुत्री हाबूराम जी हरिजन निवासी नन्दवाई हाल पत्नी मनोहरलाल जी हरिजन निवासी बापू कॉलोनी हरिजन बस्ती चितौडगढ़
13 देउबाई पुत्री हाबूराम जी हाल पतनी लक्ष्मीनारायण जी हरिजन निवासी जूनी बेगूँ माहात्मा गांधी कॉलोनी बेगूँ तह0 बेगूँ
14 सतीश पुत्र ओमप्रकाश जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
15 श्रीमति शांतिदेवी बेवा ओमप्रकाश जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
16 पार्वती पुत्री ओमप्रकाश जी हाल पत्नी मदनलाल जी हरिजन निवासी रेलवे कॉलोनी मावली तह0 मावली जिला उदयपुर
17 तारा पुत्री ओमप्रकाश जी हाल पत्नी कन्हैयालाल जी हरिजन निवासी चमनपुरी, मावली जिला उदयपुर
18 कोशल्या पुत्री स्व0 ओमप्रकाश जी हाल पत्नी निदेश जी हरिजन निवासी कच्ची बस्ती सेंती चितौडगढ़
19 मदनलाल पुत्र स्व0 सूरजमल जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
20 कैलाश पुत्र स्व0 सूरजमल जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
21 सुरेश पुत्र स्व0 सूरजमल जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
22 श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार सा0 बेगूँ तह0 बेगूँ
23 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ़

उपस्थित :– श्री सिद्धान्त विल्लू
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 27.10.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि वादी के पिता स्व0 कन्हैयॉलाल एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से लगाकर इक्कीस के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि आराजीयात ग्राम मण्डावरी प0ह0 मण्डावरी तह0 बेगूँ में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

.जी नम्बर	रकवा हैक्टर	रकम
22 / 1	0.3080	0.57
323 / 1	0.4530	1.44
1824 / 1	0.3970	3.43
1825 / 1	0.4130	3.57
1826 / 1	0.3970	3.43
1827 / 1	0.3240	2.80
1828	0.0730	0.63
1829 / 1	0.0400	0.08
1836 / 1	0.5350	0.99
1837 / 1	0.2910	1.08
1838 / 1	0.1620	0.60
1839 / 1	0.2430	0.90
1840 / 1	0.1540	0.57
1841 / 1	0.3400	1.26
1842 / 1	1.1570	2.15
कीता–15 कुलरकबा	5.2870 हैक्टर	23.50

यह कि पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :–

प्रताप

भोलीराम फोत — मांगीलाल फोत — हाबूराम फोत — कन्हैयॉलाल फोत — सूरजमल फोत

पुरूषोत्तम

गीता रोशन देउबाई

राजेश

देवीलाल फोत हीरालाल फोत

वेदप्रकाश इन्द्रा रेखा

जमना प्रवीण श्याम प्रेम विमला मीरा

पार्वती तारा ओमप्रकाश फोत मदन कैलाश सुरेश कौशल्या भगवती

सतीश पुत्र शांतिदेवी बेवा

यह कि मुझ वादी को स्व0 कन्हैयॉलाल ने पुत्र समान रखकर पुत्र ही माना। मै वादी कन्हैयॉलाल का विधिक वारिस भी हूँ। मुझ वादी ने ही कन्हैयालाल व उनकी पुत्री की सेवाचाकरी की। ईलाज व सामाजिक धार्मिक कियाकर्म भी मुझ वादी ने ही किएं। मुझ वादी के पक्ष में न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश महोदय दो चितौडगढ द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिनांक 27.03.2002 ई को जारी किया गया है जिसमें मुझे स्व0 कन्हैयालाल पुत्र प्रताप जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ जिला चितैडगढ के बजाय राजेश कुमार पुत्र पुरूषोतम हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है। स्व0 कन्हैयालाल जी के हक हिस्से की

आराजीयात पर में काबिज होकर काश्त कर रहा हूँ इस आधार पर भी मैं मृतक कन्हैयालाल हक हिस्से की कृषि भूमि पर खातेदारी पाने का अधिकारी हूँ। स्व0 कन्हैयांलाल जी के ावनकाल में ही मै उनके हिस्से की कृषि आराजीयात पर काविज होकर लगातार निर्बाध शांतिपूर्वक ारह वर्ष से अधिक समय से काश्त करता चला आ रहा हूँ। मेरा लागतार कब्जाकाश्त स्व0 कन्हैयालाल जी की कृषि आराजीयात पर वना रहा है। इसलिए न्यायालय श्रीमान में स्व0 कन्हैयॉलाल के हक हिस्से का खातेदार मुझे घोपित किए जाने हेतु यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान में घोषणा किए जाने हेतु प्रस्तुत है।

यह कि पारिवारक सजरे के अनुसार स्व0 कन्हैयांलाल का 1/5 हक हिस्सा बनता है शेष प्रतिवादीगण का भी उनके हक हिस्से अनुसार विभाजन अच्छी में से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी किए जाने हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत है। मुझ वादी का 1/5 हक हिस्सा बाद खातेदारी घोषणा विभाजन किया जाकर रेवेन्यु रेकार्ड में भी खाता अलग किए जाने हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत है।

यह कि मुझ वादी ने प्रतिवादी संख्या एक से लगाकर इक्कीस को तहसील में चलकर दिनांक 21.05.2012 को बंटवारा(विभाजन) कराने को कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया इसलिए वादी को यह वादपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता पडी। यह कि बिनाय मुखास्मत दिनांक 01.05.2012 को उत्पन्न होकर हर रोज विद्वमान है।

यह कि राज्य के प्रतिनिधी के रूप में जिला कलेक्टर साहब चितौडगढ को पक्षकार बनाया है इसलिए वादपत्र प्रस्तुती की इजाजत न्यायालय श्रीमान से स्वीकृति लेने हेतु धारा 80 (2) दी0प्र0सं0 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। भूमिधारी तहसीलदार साहब आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझ वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुझ वादी के पक्ष में निम्न प्रकार की डिक्री जारी फरमाई जावें:-

1- कि कलम संख्या एक मे वर्णित कृषि भूमि में स्व0 कन्हैयालाल के स्थान पर मुझ वादी का 1/5 हक हिस्सा का खातेदार होने की घोषणा विधिक उत्तराधिकारी होने से की जावें। बाद खातेदारी घोषणा मुझ वादी का 1/5 हक हिस्से का विभाजन (बंटवारा) किया जाकर रेवेन्यु रेकार्ड में भी खाता अलग किए जाने की डिक्री फरमाई जावें।

2- कि वाद व्यय एवं अभिभाषक शुल्क भी मुझ वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

3- कि अन्य कोई दाद जो सुलभ वादी हो प्रदान की जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21 व 23 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। साथ ही प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5, 6, 17, 7 व 22 भी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध भी मामला एक तरफा किये जाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। इस पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1, 8, 12, 16, 18 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 तलबी द्वारा जारी किये गये। प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित न आने से उनके विरूद्ध भी एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिय गये। इस प्रकार पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 21 व 22 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने के बाद भूमिधारी द्वारा इस दावा पत्रावली में अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी अपने वादपत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से स्वयं प्रमाणित करें। इस प्रकार प्रकरण में भूमिधारी का फोर्मल जवाब प्रस्तुत होने पर पत्रावली में कोई तनकी कायम नहीं की जाकर वादी की साक्ष्य ली गई। वादी द्वारा साक्ष्य वादी में वादी राजेश कुमार पिता कन्हैयालाल के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किए व गवाह बंशीलाल पिता विलासीराम हरिजन, सुरेश चन्द्र पिता झमकलाल हरिजन के प्रस्तुत किए वादी राजेशकुमार से मुख्य परीक्षण में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए वादी राजेशकुमार के बयानो को कलमबद्ध कराया गया जिरह मामला एक तरफा का होने से निल रही व मुख्य परीक्षण भी निल रहा है। प्रकरण में एक तरफा वादी की साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस वादपत्र के अनुसार क रते हुए वादी को कन्हैयॉलाल का पुत्र होने से वाद पत्र मे वर्णित कृषि आराजीयात में वादी के पिता कन्हैयॉलाल का हिस्सा 1/5 होने से उक्त हिस्से की घोषणा वादी के पक्ष में किये जाने एवं उक्त हिस्सा अनुसार ही वादी के

अनुसार बंटवारा किये जाने व खाता अलग किए जाने का निवेदन अपनी बहस में किया गया

बहस एक तरफा अधिवक्ता वादी की सुने जाने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोन किया गया। प्रदर्श–1 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचि–8 के तहत राजेश कुमार पिता पुरूषोत्तमलाल जाति हरिजन को मृतक कन्हैयालाल पिता प्रताप जाति हरिजन का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाने का प्रमाण पत्र है। प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी सम्वत 2064 से 2067 तक की है जिसमें मौजा मण्डावरी की कृषि आराजी संख्या 1822/1, 1823/1, 1824/1, 1825/1,1826/1, 1827/1, 1828, 1829/1, 1836/1, 1837/1, 1838/1, 1839/1, 184021, 1841/1, 1842/1 कीता–15 कुल रकबा 5.2870 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री पुरूषोत्तम पिता भोलीराम हरिजन, देवीलाल पिता मांगीलाल श्रीमति गीतादेवी पति मदनलाल हरीजन निवासी कपासन हा.मु.नन्दवाई सूरजमल कन्हैयालाल पिता प्रताप हरिजन सा.नन्दवाई खातेदार दर्ज अंकित है।

इस प्रकार पत्रावली में दर्शाया गया सजरा जिसको किसी भी प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर चेलेन्ज नहीं किये जाने से एवं नकल जमाबंदी अनुसार तथा प्रस्तुत प्रदर्श–1 उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अनुसार वादी कन्हैयांलाल का उत्तराधिकारी होने एवं कन्हैयॉलाल का हिस्सा वर्णित कृषि आराजीयात में 1/5 होने से वादी उक्त हिस्से की घोषणा अपने पक्ष में करा पाने के एवं धारा 53 राज0काश्त0अधि के तहत विभाजन करा पाने के भी अधिकारी पाये जाते है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा मण्डावरी पटवार हल्का मण्डावरी की कृषि आराजी संख्या 1822/1, 1823/1, 1824/1, 1825/1,1826/1, 1827/1, 1828, 1829/1, 1836/1, 1837/1, 1838/1, 1839/1, 184021, 1841/1, 1842/1 कीता–15 कुल रकबा 5.2870 हैक्टर भूमि में वादी राजेशकुमार उत्तराधिकारी कन्हैयॉलाल हरिजन निवासी नन्दवाई का हिस्सा 1/5 घोषित किया जाता है। उक्त हिस्सा 1/5 वादी का रखते हुए तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 21 तक का जमाबंदी अनुसार रखते हुए उपरोक्त कृषि आराजीयात का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी आधार पर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 2000/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तथा निर्देशित किया जाता है कि वे वादी से कमिश्नर शुल्क के 2000/– रूपये प्राप्त करते हुए उपरोक्त आराजी का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य करते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जावें।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूं के पत्र कमांक/राजस्व /2025/889 दिनांक 10.10.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर उभय पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा मण्डावरी हल्का मण्डावरी की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– राजेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल हरिजन सा. नन्दवाई

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
1824/1 मेसे	0.1270
1840/1 मेसे	0.1100
1841/1 मेसे	0.2500
1842/1 मेसे	0.5700
कीता– 04	1.0570 हैक्टर

। कैलाशचन्द्र पुत्र सुरजमल हि. 235/1058, मदनलाल पुत्र सुरजमल हि. 235/1058, सुरेश सुरजमल हि. 235/1058, सतीश पुत्र ओमप्रकाश हि. 235/1058,(भगवती पुत्री सुरजमल के ाय) नितेश पुत्र भगवती हि. 59/1587, सुमन पुत्री भगवती हि. 59/1587, यशोदा पुत्री भगवती ि. 59/1587, हरिजन सा. नन्दवाई खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
1826/1 मेसे	0.0870
1836/1 मेसे	0.5000
1837/1 मेसे	0.2910
1842/1 मेसे	0.1800
कीता– 04	1.0580 हैक्टर

3– श्री कमलेश पुत्र पुरूषोत्तम लाल हि. 529/1586, गीता देवी पति मदनलाल हि. 529/1586, (देवीलाल पुत्र मांगीलाल के बजाय) जमनालाल पुत्र देवीलाल हि. 22/793, प्रवीण पुत्र देवीलाल हि. 22/793, श्यामलाल पुत्र देवीलाल हि. 22/793, प्रेम पुत्री देवीलाल हि. 22/793, विमला पुत्री देवीलाल हि. 22/793, मीरा पुत्री देवीलाल हि. 22/793, (हीरालाल पुत्र मांगीलाल के बजाय) इन्द्रा पुत्री हीरालाल हि. 44/793, रेखा पुत्री हीरालाल हि. 44/793, मोहित पुत्र वेदप्रकाश हि. 11/793, दिव्या पुत्री वेदप्रकाश हि. 11/793, निधि पुत्री वेदप्रकाश हि. 11/793,नीतू पति वेदप्रकाश हि. 11/793 हरिजन सा. नन्दवाई खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
1822/1	0.0870
1823/1	0.4500
1824/1 मेसे	0.2700
1825/1	0.4130
1826/1	0.3100
1827/1	0.3240
1828/1	0.0730
1829/1	0.0400
1836/1	0.0350
1838/1	0.1620
1839/1	0.2430
1840/1 मेसे	0.0440
1841/1 मेसे	0.0900
1842/1 मेसे	0.3570
1842/1 मेसे	0.0500
कीता– 15	3.1720 हैक्टर

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

ाद पत्र संख्या ::– 67/2012

राजेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1 पुरूषोत्तम पुत्र स्व0 भोलीराम जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
2 जमनालाल पुत्र स्व0 देवीलाल जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
3 प्रवीण पुत्र स्व0 देवीलाल जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
3 श्यामलाल पुत्र स्व0 देवीलला जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
4 प्रेम पुत्री स्व0 देवीलाल जी हरिजन हाल पत्नी रमेश जी हरिजन निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा
5 श्रीमति विमला पुत्री देवीलाल जी हाल पत्नी बाबूलाल जी हरिजन निवासी पुर जिला भीलवाडा
6 मीरा पुत्री स्व0 देवीलाल जी हरिजन हाल पत्नी लादूलाल जी हरिजन नि.फरतहनगर जिला उदयपुर
7 वेदप्रकाश पुत्र हीरालाल जी हरिजन नि.नन्दवाई हाल मकान नंबर 30 एमआई जी नीमच (म0प्र0)
8 इन्द्रा पुत्री हीरालाल जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
9 रेखा पुत्री हीरालाल जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
10 गीता पुत्री हाबूराम जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
11 रोशन पुत्री हाबूराम जी हरिजन नि. नन्दवाई हाल पत्नी मनोहरलाल हरिजन नि. चितौडगढ़
12 देउबाई पुत्री हाबूराम जी हाल पतनी लक्ष्मीनारायण जी हरिजन निवासी माहात्मा गांधी कॉलोनी बेगूँ
13 सतीश पुत्र ओमप्रकाश जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
14 श्रीमति शांतिदेवी बेवा ओमप्रकाश जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
15 पार्वती पुत्री ओमप्रकाश जी हाल पत्नी मदनलाल जी हरिजन नि.मावली तह0 मावली जिला उदयपुर
16 तारा पुत्री ओमप्रकाश जी हाल पत्नी कन्हैयालाल जी हरिजन निवासी चमनपुरी,मावली जिलाउदयपुर
17 कोशल्या पुत्री स्व0 ओमप्रकाश जी हाल पत्नी निदेश जी हरिजन नि. कच्ची बस्ती सेंती चितौडगढ़
18 मदनलाल पुत्र स्व0 सूरजमल जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
19 कैलाश पुत्र स्व0 सूरजमल जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
20 सुरेश पुत्र स्व0 सूरजमल जी हरिजन निवासी नन्दवाई तह0 बेगूँ
21 श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार सा0 बेगूँ तह0 बेगूँ
22 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धान्त बिल्लू की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री....................की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88–53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 27.10.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा मण्डावरी हल्का मण्डावरी की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– राजेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल हरिजन सा. नन्दवाई

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
1824/1 मेसे	0.1270
1840/1 मेसे	0.1100
1841/1 मेसे	0.2500
1842/1 मेसे	0.5700
कीता– 04	1.0570 हैक्टर

ा कैलाशचन्द्र पुत्र सुरजमल हि. 235/1058, मदनलाल पुत्र सुरजमल हि. 235/1058, सुरेश सुरजमल हि. 235/1058, सतीश पुत्र ओमप्रकाश हि. 235/1058,(भगवती पुत्री सुरजमल के ाय) नितेश पुत्र भगवती हि. 59/1587, सुमन पुत्री भगवती हि. 59/1587, यशोदा पुत्री भगवती हि. 59/1587, हरिजन सा. नन्दवाई खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
1826/1 मेसे	0.0870
1836/1 मेसे	0.5000
1837/1 मेसे	0.2910
1842/1 मेसे	0.1800
कीता– 04	1.0580 हैक्टर

3– श्री कमलेश पुत्र पुरूषोत्तम लाल हि. 529/1586, गीता देवी पति मदनलाल हि. 529/1586, (देवीलाल पुत्र मांगीलाल के बजाय) जमनालाल पुत्र देवीलाल हि. 22/793, प्रवीण पुत्र देवीलाल हि. 22/793, श्यामलाल पुत्र देवीलाल हि. 22/793, प्रेम पुत्री देवीलाल हि. 22/793, विमला पुत्री देवीलाल हि. 22/793, मीरा पुत्री देवीलाल हि. 22/793, (हीरालाल पुत्र मांगीलाल के बजाय) इन्द्रा पुत्री हीरालाल हि. 44/793, रेखा पुत्री हीरालाल हि. 44/793, मोहित पुत्र वेदप्रकाश हि. 11/793, दिव्या पुत्री वेदप्रकाश हि. 11/793, निधि पुत्री वेदप्रकाश हि. 11/793,नीतू पति वेदप्रकाश हि. 11/793 हरिजन सा. नन्दवाई खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
1822/1	0.0870
1823/1	0.4500
1824/1 मेसे	0.2700
1825/1	0.4130
1826/1	0.3100
1827/1	0.3240
1828/1	0.0730
1829/1	0.0400
1836/1	0.0350
1838/1	0.1620
1839/1	0.2430
1840/1 मेसे	0.0440
1841/1 मेसे	0.0900
1842/1 मेसे	0.3570
1842/1 मेसे	0.0500
कीता– 15	3.1720 हैक्टर

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक .10.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूॅ

क्रमांक/सरिश्ता/2025/ 866 दिनांक ::– 29.10.25

प्रतिलिपि अंतिम डिक्री की तहसीलदार बेगूॅ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूॅ